शिल्पकारों/स्वसहायता समूहो एवं सहकारी समितिया/ शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का पंजीयन नियमावली

शिल्पी/शिल्पकारों की परिभाषा :–

विभिन्न विधाओं के शिल्पकार जो अपनी कल्पना शक्ति से कलाकृति का निर्माण कर रहें है, या निर्मित कृति की फोटोकॉपी कर शिल्पकृति का निर्माण करते हैं। ऐसे शिल्पकार जो परंपरागत रूप से कार्यरत है या प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित होकर शिल्पकला में पारंगत हो चुके हैं, शिल्पी द्वारा शिल्पकृति का निर्माण स्वयं के द्वारा की जा रही हो, ऐसे व्यक्ति शिलपकारों की श्रेणी में होंगे।

स्व–सहायता समूहों/ सहकारी समितियों की परिभाषा :–

हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत स्व–सहायता समूहों/सहकारी समितियां जिसमें विभिन्न विधाओं या एक शिल्प विधा में समूह के रूप में कार्यरत वे शिल्पकार जो पारम्परिक शिल्पकार है या संबंधित शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त कर समूह के रूप में शिल्प का उत्पादन कर रहें है। ऐसे स्व–सहायता समूहों/सहकारी समितियों का पंजीयन बोर्ड में किया जावेगा।

हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों की परिभाषा :–

हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी जो विभिन्न विधाओं के शिल्पकारों /हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत स्व–सहायता समूहों/सहकारी समितियों से हस्तशिल्प सामग्री का क्रय कर स्वयं के संसाधनों से शिल्प का विक्रय कर रहें है। जिससे प्रदेश के शिल्पकारों की बाजार व्यवस्था सुलभ हो रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि व्यवसायी छत्तीसगढ़ के शिल्पकारो द्वारा निर्मित कलाकृतियों का क्रय कर विक्रय कर रहें है। ऐसे व्यवसायियों को ही हस्तशिल्प में पंजीयन की पात्रता होगी।

पंजीयन से आशय विभिन्न विधाओं के शिल्पकारों की वास्तविक गणना की जानकारी, उनकी कार्यक्षमता/कार्यशैली, उत्पादन क्षमता एवं विपणन क्षमता की आवश्यक जानकारियां एकत्रित करना है। जिससे बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित शिल्पकारों की वास्तविक तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर भविष्य की कार्य योजना का क्रियान्वयन करना है। इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमावली निम्नानुसार है :–

(i) **शिल्पकारों का पंजीयन :–**

01. हस्तशिल्प के क्षेत्र में परंपरागत शिल्पकार एवं कलाकृतियों का उत्पादनकर्ता शिल्पकार, जिनके स्वयं के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है, अथवा शिल्प के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते है, ऐसे शिल्पकारो का पंजीयन बोर्ड के माध्यम से किया जावेगा।
02. शिल्पी का पंजीयन शुल्क रू. 20/– निर्धारित है।

03. शिल्पी का पंजीयन 2 वर्षो के लिए निर्धारित है। प्रति 2 वर्षो के पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण की सुविधा होगी। नवीनीकरण हेतु राशि रू. 10/– लिया जावेगा।
04. पंजीयन के दौरान शिल्पी को शिल्प के उत्पादन की जानकारी के साथ–साथ बैंक ाता नम्बर एवं 2 वर्षो का बैंक स्टेट्मेन्ट प्रस्तुत करने होंगे।
05. धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से प्राप्त किये जाने वाले पंजीयन की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

(ii) स्व सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का पंजीयन :–

01. शिल्प के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले स्व–सहायता समूहों एवं सहकारी समितियां पंजीयन हेतु पात्र होंगे।
02. हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों के मामले में कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीयक/सहकारी संस्थाओं से पंजीयन अनिवार्य होगा।
03. स्व–सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का पंजीयन प्रचलित/कार्यरत किसी विशेष शिल्प में किया जावेगा।
04. तीन वर्षों तक निरंतर शिल्पकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने वाले स्व–सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का बोर्ड में पंजीयन किया जावेगा।
05. सहकारी समितियों का सेलटेक्स पंजीयन आवश्यक है।
06. स्व–सहायता समूहो एवं सहकारी समितियों का पंजीयन की वैधता 2 वर्षो के लिए होगी। 2 वर्षो के पश्चात पंजीयन का नवीनीकरण किया जावेगा।
07. स्व–सहायता समूहो/सहकारी समितियों का पंजीयन शुल्क 500/– निर्धारित है। 2 वर्षो के पश्चात पंजीयन का नवीनीकरण शुल्क 200 रू. लिया जावेगा।
08. स्व–सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का पंजीयन के दौरान उनके बायलाज एवं बैंक खातो का पूर्व के 03 वर्षो का लेखा–जोखा सनद लेखापाल की सत्यापित प्रति बोर्ड को प्रस्तुत करने होंगे।
09. स्व–सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों में कार्यरत शिल्पकारों की सूची उपलबध कराया जाना आवश्यक होगा।
10. धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से प्राप्त किये जाने वाले पंजीयन की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

(iii) शिल्प के क्षेत्र में संलग्न व्यवसायियों का पंजीयन :–

01. शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी, जो प्रदेश के शिल्पकारों से प्रचलित विभिन्न शिल्पों में उत्पादन करा रहें हैं, अथवा शिल्प सामग्री का क्रय कर रहें है, तथा बाजार व्यवस्था भी स्वयं कर रहे हैं, ऐसे व्यवसायियों का पंजीयन किया जावेगा।

02. व्यवसायी द्वारा उनके व्यवसाय हेतु उत्पादन कार्य में संलग्न शिल्पियों का बायोडाटा बोर्ड को उपलब्ध कराने होंगे।

03. व्यवसायियों का सेलटेक्स पंजीयन आवश्यक है।

04. व्यवसायियों का पंजीयन 2 वर्षो के लिए किया जावेगा।

05. व्यवसायियों का पंजीयन शुल्क 2000/–रू. निधारित है। 2 वर्षो के पश्चात पंजीयन का नवीनीकरण शुल्क 1000/– रू. लिया जावेगा।

06. व्यवसायियों का नया पंजीयन/नवीनीकरण के दौरान प्रति 2 वर्षो में बैंक/व्यवसाय का लेखा–जोखा सनद लेखापाल की सत्यापित प्रति बोर्ड को प्रस्तुत करने होंगे।

07. शिल्प के क्षेत्र में संलग्न व्यवसायी फर्म या संस्था का बोर्ड में पंजीयन के बिना छ.ग. हस्तशिल्प बोर्ड के माध्यम से शिल्प का व्यवसाय नही कर सकेंगे।

08. काष्ठ शिल्प के क्षेत्र में बोर्ड के अनुमति के पश्चात् ही वन विभाग को अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु लेख किया जावेगा।

09. धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से प्राप्त किये जाने वाले पंजीयन की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त करने एवं वैद्यानिक कार्यवाही का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

उपरोक्त तीनो स्तर में हस्तशिल्प का पंजीयन जिला प्रबंधक/प्रभारी के माध्यम से किया जावेगा। शिल्पकार/स्व–सहायता समूह/सहकारी समितियां/शिल्प क्षेत्र में जुड़े व्यवसायी अपने–अपने जिले के कार्यालयों में पंजीयन हेतु आवेदन कर सकेंगे। पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड,

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : **शिल्पी/शिल्पकारों हेतु पंजीयन का आवेदन पत्र।**

मैं ..... शिल्प में अपनी इकाई का पंजीयन कराना चाहता हूँ। मेरे से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. शिल्पी का नाम : .....
.....
2. शिल्पी के पिता/पति का नाम : .....
.....
3. जाति/वर्ग : .....
.....
4. जन्मतिथि : .....
.....
5. शैक्षणिक योग्यता : .....
.....
6. दूरभाष नं./ई–मेल पता : .....
.....
.....
7. शिल्पी का वर्तमान/स्थायी पूर्ण पता : .....
.....
8. शिल्पी परम्परागत है अथवा प्रशिक्षित पूर्ण विवरण। : .....
.....

9. इकाई के मालिकों का विवरण एवं पूर्ण पता : .....
.....

10. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्य कार्यकर्ता का नाम मय वल्दियत : .....
.....

11. आवेदक स्वयं कारीगर है/कारीगर रखकर कार्य करवाता है। (हाँ/नहीं) : .....
.....
.....

12. शिल्प का नाम जिसके लिये पंजीयन चाहा जा रहा है। : .....
.....

13. अन्य पंजीयन यदि कोई हो तो उसका विवरण। : .....
.....

14. इकाई का छ.ग. सेल्सटेक्स का सेल्सटेक्स नंबर : .....
.....

15. स्थापना एवं उत्पादन करने का दिनांक : .....
.....

16. हस्तशिल्प क्रियाकलापों का विवरण जो वस्तुयें बनाई जाती है, उसका नाम तथा अनुमानित मूल्य एवं पूरा विवरण। : .....
.....
.....

17. मासिक उत्पादन क्षमता सम्पूर्ण विवरण उत्पादनवार दिया जावें। : वस्तुओं का नाम .....
.....
मूल्य .....

18. पूंजी विवरण (रूपये में) : .....

1. मशीन, मकान, औजार आदि का विवरण। : .....
.....

19. गत वर्ष का उत्पादन अनुमानित मूल्य .....

20. गत वर्ष का विक्रय एवं विक्रय .....

    का मुख्य स्त्रोत .....

21. कारीगरों की संख्या : .....

    (अ) कुशल कारीगर .....

    (ब) अर्धकुशल कारीगर .....

22. बैंक का नाम एवं पता जिसमें : .....

    खाता खोला गया है । .....

23. डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग : .....

    (हाँ/नहीं) .....

24. पासपोर्ट नं. (हाँ/नहीं) : .....

25. आधार कार्ड नं. (हाँ/नहीं) : .....

26. बी.पी.एल. कार्ड नं. (हाँ/नहीं) : .....

27. आम आदमी बीमा योजना (हाँ/नहीं): .....

28. मेरी प्रस्तावित इकाई है एवं आवेदन : .....

    के साथ योजना की प्रगति संलग्न है । .....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उक्त विवरण सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

.....

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड,

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : **स्व-सहायता समूहो/सहकारी समितियों का पंजीयन ।**

मैं ..... शिल्प में अपनी इकाई का पंजीयन कराना चाहता हूँ। मेरे से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. इकाई का नाम : .....
.....
.....

2. दूरभाष नं./ई–मेल पता : .....
.....

3. इकाई का स्थायी पूर्ण पता : .....
.....

4. इकाई के मालिकों का विवरण : .....
एवं पूर्ण पता .....
.....

5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्य : .....
कार्यकर्ता का नाम मय वल्दियत .....

6. आवेदक स्वयं कारीगर है / : .....
कारीगर रखकर कार्य .....
करवाता है पूर्ण विवरण .....

7. शिल्प का नाम जिसके लिये : .....
पंजीयन चाहा जा रहा है। .....

8. अन्य पंजीयन यदि कोई हो तो उसका विवरण। : .....

9. इकाई का छ.ग. सेल्सटेक्स का सेल्सटेक्स नंबर : .....

10. स्थापना एवं उत्पादन करने का दिनांक : .....

11. हस्तशिल्प क्रियाकलापों का विवरण जो वस्तुयें बनाई जाती है, उसका नाम तथा अनुमानित मूल्य एवं पूरा विवरण । : .....

12. मासिक उत्पादन क्षमता सम्पूर्ण विवरण उत्पादनवार दिया जावें । : वस्तुओं का नाम .....
मूल्य .....

13. पूंजी विवरण (रूपये में) : .....
1. मशीन, मकान, औजार, आदि का विवरण । .....

14. गत वर्ष का उत्पादन अनुमानित मूल्य : .....

15. गत वर्ष का विक्रय एवं विक्रय का मुख्य स्त्रोत : .....

16. कारीगरों की संख्या : .....
(अ) कुशल कारीगर .....
(ब) अर्धकुशल कारीगर .....

17. बैंक का नाम एवं पता जिसमें खाता खोला गया है । : .....

18. डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग : .....
(हाँ/नहीं) .....

19. मेरी प्रस्तावित इकाई है एवं आवेदन : .....
के साथ योजना की प्रगति संलग्न है । .....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उक्त विवरण सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

.....

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड,

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : **हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का पंजीयन ।**

मैं ..... शिल्प में अपनी इकाई/व्यवसाय का पंजीयन कराना चाहता हूँ। मेरे से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. इकाई/व्यवसाय का नाम : .....
.....
.....
2. दूरभाष नं./ई–मेल पता : .....
.....
3. इकाई/व्यवसाय का स्थायी पूर्ण पता : .....
.....
4. इकाई/व्यवसाय के मालिकों का विवरण एवं पूर्ण पता : .....
.....
.....
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्य कार्यकर्ता का नाम मय वल्दियत : .....
.....
6. आवेदक स्वयं कारीगर है / कारीगर रखकर कार्य करवाता है पूर्ण विवरण : .....
.....
.....

7. शिल्प व्यवसाय का नाम जिसके : .....
लिये पंजीयन चाहा जा रहा है। .....

8. अन्य पंजीयन यदि कोई हो तो : .....
उसका विवरण। .....

9. इकाई/व्यवसाय का छ.ग. : .....
सेल्सटेक्स का सेल्सटेक्स नंबर .....

10. स्थापना एवं विक्रय करने का : .....
दिनांक .....

11. हस्तशिल्प क्रियाकलापों का विवरण : .....
जो वस्तुयें विक्रय की जाती है, ...
उसका नाम तथा वास्तविक मूल्य एवं .....
पूरा विवरण। .....

12. मासिक विक्रय क्षमता, विक्रय का : वस्तुओं का नाम .....
सम्पूर्ण विवरण दिया जावें। मूल्य .....

13. पूंजी विवरण (रूपये में) : .....
1. भवन/फर्नीचर .....
आदि का विवरण ।

14. गत वर्ष का विक्रय का वास्तविक मूल्य : .....

.

15. गत वर्ष का विक्रय एवं विक्रय : .....

.

का माध्यम .....

.

16. कारीगरों की संख्या जिससे शिल्प का : .....

.

उत्पादन/क्रय किया जा रहा है। .....
पूर्ण विवरण .....
(अ) कुशल कारीगर .....

(ब) अर्धकुशल कारीगर .....

17. बैंक का नाम एवं पता जिसमें : .....
व्यवसाय का खाता खोला गया है। .....

18. संचालित बैंक खाते का बैंक : .....
स्टेटमेन्ट 03 वर्षो का संलग्न करें। .....

19. डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग : .....
(हाँ/नहीं) .....

20. मेरी प्रस्तावित इकाई है एवं आवेदन : .....
के साथ योजना की प्रगति संलग्न है । .....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उक्त विवरण सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

.....

निरीक्षण टीप :- (केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

1. इकाई का नाम एवं पता : .....
.....
2. इकाई के मालिक भागीदारों का नाम : .....
.....
3. शिल्पी परम्परागत है अथवा प्रशिक्षित : .....
4. क्या आवेदक स्वयं कार्य करता है : .....
या कारीगरी रखकर कार्य .....
करवाता है ।
5. शिल्प जिसमें इकाई का उत्पादन : .....
किया जाता है । .....
6. इकाई में लगी पूंजी का ब्यौरा : .....
(अ). स्थाई पूंजी : .....
(ब). कार्यशील पूंजी
7. मशीन, औजार उपकरण की जानकारी : .....
जो आवेदक के पास कार्य हेतु .....
उपलब्ध है लागत एवं मूल्य
8. इकाई में कार्यरत कारीगर : .....
(अ) कुशल कारीगरी : .....
(ब) अर्धकुशल कारीगर : .....
9. इकाई द्वारा गत वर्ष में कितना : .....
उत्पादन एवं विक्रय किया । .....
10. इकाई की वर्तमान विक्रय व्यवस्था : .....
क्या है । .....
.....
11. क्या इकाई के पास अपनी ही : .....
डिजाईनों व नए–नए प्रयोग की .....
कोई व्यवस्था है । .....

12. इकाई को किस विशेष वस्तु में उत्पादन विशेषता है । : .....

13. मासिक उत्पादन क्षमता कितनी है । : .....

14. वस्तु का नाम जिसके लिये पंजीयन प्रस्तावित है । : .....

15. शिल्प कार्य में अनुभव कितने वर्ष का है : .....

नोटः— इसके लिये क्या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है । : .....

यदि हॉ तो अन्य विवरण एवं निरीक्षणकर्ता की सिफारिश .....

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
पद एवं सील

दिनांक .....

हस्ताक्षर पद सील